दूरभाष : 2740239
फैक्स : 2742309

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान
ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/अन्य बिल/852-1051 दिनांक 15/4/2013

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– पे–मैनेजर पर तृतीय पक्षकार (**Third Party**) बिल बनाने के संबंध में।

महोदय,

वर्तमान में पे–मैनेजर पर तृतीय पक्षकार को भुगतान करने हेतु तृतीय पक्षकार (फर्म, कम्पनी, संस्था, व्यक्ति) द्वारा जारी किए गये बिल नम्बर एवं दिनांक (**Invoice no.**) का सही इन्द्राज पे–मैनेजर से बनाये जाने वाले ऑनलाइन बिलों में नहीं किया जाता है जिससे तृतीय पक्षकार को भुगतान की रिपोर्ट में उसके द्वारा जारी किए गये बिल नम्बर सही तरीके से उपलब्ध नहीं होने के कारण मिलान करने में असुविधा होती है।

अतः तृतीय पक्षकार को भुगतान करने हेतु बनाये जाने वाले ऑनलाइन बिलों में अब इनवॉइस नम्बर एवं दिनांक अंकित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, बिना इनवॉइस नम्बर एवं दिनांक अंकित किए पे–मैनेजर पर तृतीय पक्षकार के बिल नहीं बन सकेगें। इस संदर्भ में यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि तृतीय पक्षकार के बिल नम्बर व दिनांक सही–सही अंकित किया जाये।

अतः आपके अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/अन्य बिल/852-1051 दिनांक 15/4/2013

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजि सचिव, वित्त सचिव (बजट) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, समस्त।
3. संयुक्त निदेशक, (सिस्टम एनालिस्ट) वित्त विभाग सचिवालय को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. को पे–मैनेजर पर इस संबंध में न्यूज चलाने हेतु।

संयुक्त निदेशक (**IFMS**)

क्रमांक एफ 20 (101)आयोजना भिन्न/बजट/लेखा/निकाशि/2013–14/ दिनांक 01.05.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
2. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा
3. कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी कालेज शिक्षा राज0 जयपुर।
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षी व्याख्याता को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबवाईड पर पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

E:\GOYAL\Allotment - 13-14.doc